

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी:-विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्या: 94/2021

1. श्री गणेश पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी
जिला-प्रतापगढ़ राज0
—वादी

बनाम

1. श्री शोभालाल पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी
जिला-प्रतापगढ़ राज0
2. श्री गोपीलाल पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी
जिला-प्रतापगढ़ राज0
3. श्री मांगीलाल पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी
जिला-प्रतापगढ़ राज0
4. श्री गोतम पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी
जिला-प्रतापगढ़ राज0
5. श्री सोहन पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी
जिला-प्रतापगढ़ राज0
6. श्री बंशीलाल पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी
जिला-प्रतापगढ़ राज0
7. प्रभुबाई पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़
राज0
8. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान
— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 88-188 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित: 1. श्री प्रकाश चन्द्र साहू अभिभाषक वादी

निर्णय


दिनांक 10.12.2021

1. वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88-188-53 आर.टी.ए. प्रशासन गांवों के संग अभियान
केम्प गोमाना में पेश किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मोजा गोमाना
पटवार हल्का गोमाना की आराजी संख्या 1176 रकबा 0.50 हैक्ट0, आराजी संख्या
1178 रकबा 0.50 हैक्ट0, आराजी संख्या 1180 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी संख्या
1181 रकबा 0.24 हैक्ट0, आराजी संख्या 1185 रकबा 0.34 हैक्ट0, आराजी संख्या
1186 रकबा 0.11 हैक्ट0 स्थित है उक्त आराजी मे मेरे पिता के विरासत के
नामान्तरकरण के दौरान सहवन से मेरा नाम एवं मेरी एक बहन रूकमणी बाई का नाम
दर्ज नहीं किया गया जबकि हम सभी 7 भाई एवं 2 बहनों का सम्मान हक हिस्सा

D

बनता है। अतः मेरी, एवं मेरी बहन का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर शिविर प्रशासन गांवों के संग कॅम्प गोमाना में तहसीलदार छोटीसादड़ी से करवाई गई जिसमें मृतक बगदु का सजरा पेश कर बताया कि मृतक बगदु के 7 पुत्र एवं 2 पुत्रीया है तथा मोके पर भी उनका कब्जा है तथा शिविर में सभी प्रतिवादीगण ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर बताया कि हम सभी भाई बहनो का नाम दर्ज किया जावे तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।
3. हमने पत्रावली का ध्यान पुर्वक अलोकन किया गया संलग्न दस्तावेजों पर मनन किया गया संलग्न ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा रिपोर्ट एवं तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त आराजीयात पर वादी एवं उसकी बहन रूकमणी बाई दर्ज नहीं हो पाया है एवं प्रतिवादीगण ने भी शिविर में राजीनामा पेश कर वादी एवं उसकी बहन का नाम दर्ज करने की सहमति जाहिर की अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।
4. अतः वादी का वाद स्वीकार कर मोजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना की आराजी संख्या 1176 रकबा 0.50 हैक्ट0, आराजी संख्या 1178 रकबा 0.50 हैक्ट0, आराजी संख्या 1180 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी संख्या 1181 रकबा 0.24 हैक्ट0, आराजी संख्या 1185 रकबा 0.34 हैक्ट0, आराजी संख्या 1186 रकबा 0.11 हैक्ट0 पर वादी को एवं उसकी बहन रूकमणी बाई को खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादी एवं उसकी बहन रूकमणी बाई का नाम दर्ज किया जावे। ड्रिकी पृथक से जारी हो। यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़

मुल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी

प्रकरण संख्या: 41/2021

1. श्री गणेश पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0

—वादी

बनाम

1. श्री शोभालाल पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0
2. श्री गोपीलाल पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0
3. श्री मांगीलाल पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0
4. श्री गोतम पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0
5. श्री सोहन पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0
6. श्री बंशीलाल पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0
7. प्रभुबाई पिता बगदु जाति भील निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला-प्रतापगढ़ राज0
8. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88-188 आर.टी. एक्ट 1955

दिनांक:-10.12.2021

यह मुकद्मा वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी बइजलास श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस. व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र साहू मिनजानिब मुदई पेश होकर एवं राजीनामा अनुसार हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है मोजा गोमाना पटवार हल्का गोमाना की आराजी संख्या 1176 रकबा 0.50 हैक्ट0, आराजी संख्या 1178 रकबा 0.50 हैक्ट0, आराजी संख्या 1180 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी संख्या 1181 रकबा 0.24 हैक्ट0, आराजी संख्या 1185 रकबा 0.34 हैक्ट0, आराजी संख्या 1186 रकबा 0.11 हैक्ट0 पर वादी को एवं उसकी बहन रूकमणी बाई को खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर वादी एवं उसकी बहन रूकमणी बाई का नाम दर्ज किया जावें।

यह डिक्री आज दिनांक 10.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी की गयी।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)

उपखण्ड अधिकारी

छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज0)

वाद के खर्चे

मुदई			मुदायल		
	रूपया	पैसे		रूपया	पैसे
1 स्टाम्प आराजी दावा	01		1 स्टाम्प आराजी दावा		
2 स्टाम्प वकालात नामा	02		2 स्टाम्प वकालात नामा		
3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			3 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
4 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			4 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
5..... रूपये पर प्लीडर की फीस			5..... रूपये पर प्लीडर की फीस		
6 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय			6 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
7 कमिश्नर की फीस			7 कमिश्नर की फीस		
8 आदेशिका की तामिल			8 आदेशिका की तामिल		
जोड़	03		जोड़		

(विनोद कुमार मल्होत्रा)

उपखण्ड अधिकारी

छोटीसादड़ी, जिला - प्रतापगढ़ (राज0)